रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238] नई दिल्ली, शनिवार, जून 25, 1983/आषाढ़ 4, 1905
No. 238] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25, 1983/ASADHA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 1983

सा. का. नि. 511(अ).—केन्द्रीय सरकार, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि 473(अ) आ. व. ईख, तारीख 24 जुलाई, 1976 को अधिक्रान्त करते हुए, यह निदेश देती है, कि उक्त आदेश के खण्ड 9 और 9-क द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, चीनी निदेशालय खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) में मुख्य निदेशक, (चीनी

नियंत्रण), ज्येष्ठ लागत लेखा अधिकारी और लागत लेखा अधिकारी द्वारा भी किया जाएगा ।

[सं. 4-3/83-एस. पी. बोर्ड (डी. 2)]

एन. आर. बनर्जी, संयुक्त सचिव,
(चीनी)

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 1983

G.S.R. 511(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 11 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and in supersession of the Notification of the Government of India in the late Ministry of Agriculture and Irrigation No. G.S.R. 473(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated the 24th July 1976, the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by clauses 9 and 9A of the said Order shall be exercisable also by the Chief Director (Sugar Control), Senior Cost Accounts Officer, and Cost Accounts Officer in the Directorate of Sugar, Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food).

[No. 4-3/83-SPY(DII)]

N. R. BANERJI, Jt. Secy.(Sugar)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983